

अनुमति की शर्तें ।

- (i) रकम भवन / भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिन सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, जलियत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई जवाबदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी कतिपयि के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आधेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नगरी के विद्योत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत भिस्ता की जा सकती है ।

एकल शीकरी केवल आवासीय भूखण्ड

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 869 दिनांक 25/01/2021
 प्राथमिक शीकरी श्रीमती सुभाषा कृष्ण दास की नीरुप व्याप
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- जमा
 करिये रसीद संख्या 9069/633-634
 दिनांक 25/01/2021 को जमा करा दी है ।

र. 002 दर की सुभाष नगर विजान
 शीकरी की दाबी

जी.सि.
 आवासीय

20/01/2021

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

20/01/2021

20/01/2021